

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 24/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 26 अप्रैल, 2021, जिसे सा.का.नि. 288(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गया था, में, सारणी में, यथा-

- (1) क्रम संख्या 1 में, स्तंभ (5) और (6) में, "रूस" के स्थान पर "कोरिया गणराज्य" पढ़ा जाए;
- (2) क्रम संख्या 2 में, स्तंभ (5) और (6) में, "रूस" के स्थान पर "कोरिया गणराज्य" पढ़ा जाए;
- (3) क्रम संख्या 3 में,-
 - (i) स्तंभ (5) में, "रूस" के स्थान पर "कोरिया गणराज्य, रूस" पढ़ा जाए;
 - (ii) स्तंभ (6) में, "रूस" के स्थान पर "कोरिया गणराज्य" पढ़ा जाए ।

[फाइल संख्या 354/113/2020-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार